

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2011
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024/17 श्रावण, 1946 (शक)

मजदूरों से संबंधित आंकड़े

2011. डा. वी. शिवादासन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2019 से देश में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या के राज्यवार और वर्षवार आंकड़े क्या हैं;
- (ख) 2019 से ईएसआई, पीएफ और अन्य सुरक्षात्मक उपायों का लाभ उठाने वाले मजदूरों की संख्या के राज्यवार और वर्षवार आंकड़े क्या हैं; और
- (ग) 2019 से ऐसे लाभों के बिना काम कर रहे मजदूरों की संख्या के राज्यवार और वर्षवार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), संगठित क्षेत्रों सहित रोजगार का संकेत देते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार बढ़ती प्रवृत्ति है:

कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (% में)	
वर्ष	योग
2019-20	50.9
2020-21	52.6
2021-22	52.9
2022-23	56.0

स्रोत: पीएलएफएस

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित के.एल.ई.एम.एस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्रीयाँ और एस: सेवाएँ) डेटाबेस, अखिल भारतीय स्तर पर, रोजगार अनुमान को प्रदान करता है। डेटाबेस की न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल रोजगार क्रमशः 53.44 करोड़, 56.56 करोड़, 57.75 करोड़, 59.67 करोड़ और 64.33 करोड़ था।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार आंकड़ा अनुबंध-II में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान औसत योगदान करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध-III में दी गई है, और वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अनुबंध-IV में दी गई है।

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)

वर्ष	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	55.5	58.6	57.8	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	44.3	48.5	47.1	64.9
3	असम	43.2	50.5	52.1	54.5
4	बिहार	39.7	39.9	39.3	47.0
5	छत्तीसगढ़	65.4	63.6	64.9	70.1
6	दिल्ली	43.3	42.7	42.3	45.8
7	गोवा	47.3	43.4	41.6	45.1
8	गुजरात	54.7	55.0	56.8	61.5
9	हरियाणा	42.9	44.0	42.5	44.9
10	हिमाचल प्रदेश	70.5	69.5	71.2	73.8
11	झारखंड	53.6	59.6	60.7	60.9
12	कर्नाटक	53.1	55.3	53.0	55.6
13	केरल	45.3	46.1	48.8	50.5
14	मध्य प्रदेश	57.7	60.2	60.7	63.4
15	महाराष्ट्र	55.7	53.9	55.9	57.6
16	मणिपुर	45.5	41.0	40.6	48.7
17	मेघालय	58.6	62.0	60.5	65.8
18	मिजोरम	50.7	54.5	48.9	55.2
19	नागालैंड	44.8	49.5	58.4	69.4
20	ओडिशा	51.9	53.5	52.4	58.9
21	पंजाब	47.8	47.2	48.5	50.2
22	राजस्थान	55.0	55.3	54.7	58.8
23	सिक्किम	68.8	71.3	69.9	74.0
24	तमिलनाडु	55.3	56.9	55.8	54.7
25	तेलंगाना	55.7	57.8	58.1	57.7
26	त्रिपुरा	49.6	53.8	50.6	54.3
27	उत्तराखंड	49.5	48.7	48.7	53.5
28	उत्तर प्रदेश	45.1	48.0	50.1	53.9
29	पश्चिम बंगाल	49.7	53.0	52.7	56.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49.8	58.2	59.2	60.0
31	चंडीगढ़	45.5	43.1	42.2	45.6
32	दादरा एवं नगर हवेली	72.2	54.0	65.8	65.0
33	दमन और दीव	64.5			
34	जम्मू एवं कश्मीर	52.5	55.5	58.3	60.7
35	लद्दाख	62.7	69.1	58.1	57.0
36	लक्षद्वीप	48.0	40.1	37.2	35.5
37	पुडुचेरी	47.7	48.1	51.2	49.6
	अखिल भारत	50.9	52.6	52.9	56.0

स्रोत: पीएलएफएस

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ईएसआई के तहत कवर किए गए कामगारों की संख्या

क्र.स.	राज्य	कर्मचारियों			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1196570	966560	1105860	1193510
2	असम और मेघालय और नागालैंड और त्रिपुरा और मणिपुर और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	296740	255850	281230	306680
3	बिहार	314600	276120	327620	376980
4	चंडीगढ़	153510	108630	118760	127660
5	छत्तीसगढ़	454510	407420	459590	502070
6	दिल्ली	1444960	1100320	1196170	1247440
7	गोवा	186460	136780	153390	174580
8	गुजरात	1555460	1252080	1400380	1512040
9	हरियाणा	2088710	1688440	1976770	2155240
10	हिमाचल प्रदेश	310200	265890	305720	326520
11	जम्मू और कश्मीर	121980	101270	111440	119510
12	झारखंड	414550	350210	393410	452220
13	कर्नाटक	3147010	2383920	2647270	2881430
14	केरल	989290	815190	860150	912020
15	मध्य प्रदेश	953610	775370	875000	1005550
16	महाराष्ट्र	4305660	3114170	3587100	3999870
17	ओडिशा	685850	589960	687710	830880
18	पुडुचेरी और माहे	106460	88980	94160	98230
19	पंजाब	1074070	969200	1105770	1156870
20	राजस्थान	1279590	1036970	1191940	1305090
21	सिक्किम	25760	23820	26070	26400
22	तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3576180	2822130	3189620	3561480
23	तेलंगाना	1665170	1281480	1399860	1545930
24	उत्तर प्रदेश	2210790	1825800	2117330	2366010
25	उत्तराखंड	558640	465980	526370	568400
26	पश्चिम बंगाल	1850600	1569610	1724020	1790050
	अखिल भारत	30966930	24672150	27862710	30542660

स्रोत: ईएसआईसी

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 और 2020-21 के दौरान औसत योगदान ईपीएफ सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18,297	19,197
2	आंध्र प्रदेश	12,29,961	11,48,445
3	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड*	3,55,447	3,32,932
4	बिहार	5,34,729	7,25,558
5	छत्तीसगढ़	5,07,409	5,06,908
6	दिल्ली	31,05,318	28,89,533
7	गोवा	1,94,237	1,71,465
8	गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव*	32,22,174	30,51,245
9	हरियाणा	25,52,424	23,75,103
10	हिमाचल प्रदेश	3,43,943	3,29,291
11	जम्मू और कश्मीर	35,469	1,53,089
12	झारखंड	5,64,442	5,35,309
13	कर्नाटक	59,31,346	56,95,454
14	केरल एवं लक्षद्वीप*	12,04,732	11,25,670
15	लद्दाख	110	665
16	मध्य प्रदेश	11,73,241	11,12,113
17	महाराष्ट्र	1,00,05,517	92,69,658
18	मेघालय और मिजोरम*	48,357	44,082
19	ओडिशा	8,68,186	8,23,951
20	पुडुचेरी	1,20,983	1,14,129
21	पंजाब और चंडीगढ़*	11,86,911	11,13,016
22	राजस्थान	11,97,831	11,38,991
23	तमिलनाडु	54,70,348	49,87,146
24	तेलंगाना	30,28,289	28,76,832
25	त्रिपुरा	36,334	40,100
26	उत्तर प्रदेश	23,58,795	22,39,001
27	उत्तराखंड	5,86,535	5,45,391
28	पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम*	30,39,660	29,20,013
	सकल योग	4,89,21,025	4,62,84,287

स्रोत: ईपीएफओ

राज्य सभा के दिनांक 08.08.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2011 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2021-22 से 2022-23 के दौरान औसत योगदान ईपीएफ सदस्यों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16877	18,156	19,127
2	आंध्र प्रदेश	1130857	12,83,984	13,53,093
3	अरुणाचल प्रदेश	7027	8,829	10,428
4	असम	259690	2,84,068	3,18,605
5	बिहार	834533	9,81,233	10,30,313
6	चंडीगढ़	430296	4,84,290	5,17,933
7	छत्तीसगढ़	477892	5,47,964	5,88,874
8	दिल्ली	2837967	33,30,967	36,14,389
9	गोवा	174169	1,96,212	2,07,202
10	गुजरात	3217573	35,41,013	37,58,523
11	हरियाणा	2479034	28,88,458	30,98,296
12	हिमाचल प्रदेश	328921	3,62,661	3,70,095
13	जम्मू और कश्मीर	144986	1,58,254	1,64,975
14	झारखंड	489161	5,75,312	6,31,120
15	कर्नाटक	5741872	6762228	7115107
16	केरल	994368	11,20,621	11,72,389
17	लद्दाख	966	1,660	1,907
18	मध्य प्रदेश	1060475	11,85,918	12,59,181
19	महाराष्ट्र	9690716	1,12,03,323	1,21,27,007
20	मणिपुर	13212	14,834	15,480
21	मेघालय	34023	36,957	40,122
22	मिजोरम	3636	4,039	4,386
23	नागालैंड	9450	10,095	11,105
24	ओडिशा	761616	8,90,427	9,79,920
25	पंजाब	679787	7,39,123	7,43,969
26	राजस्थान	1191167	13,83,859	14,68,261
27	सिक्किम	26379	28,274	28,654
28	तमिलनाडु	4995775	57,22,743	60,08,956
29	तेलंगाना	2908863	33,37,979	35,88,265
30	त्रिपुरा	29588	27735	30630
31	उत्तर प्रदेश	2252459	2590446	2765107
32	उत्तराखंड	543445	598359	626596
33	पश्चिम बंगाल	2569386	2836822	3019881
	सकल योग	46336166	53156843	56689892